सं.19024/03/2021-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 16 फरवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी खाते पर हवाई यात्रा के संबंध में निर्देशों में आशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को एअर इंडिया के विनिवेश के बाद तीन अधिकृत एजेन्सियों अर्थात् बॉमर एवं लॉरी, आईआरसीटीसी और अशोक ट्रेवल्स के द्वारा सरकारी खाते पर हवाई टिकटों की बुकिंग के संबंध में इस विभाग के दिनांक 31.12.2021 के का.ज्ञा. का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। एअर इंडिया के विनिवेश को ध्यान में रखते हुए इस विभाग में निजी एअर लाइनों द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए हवाई टिकटों की बुकिंग के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी खाते पर हवाई यात्रा घरेलू (एलटीसी सहित) और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दोनों निजी एअर लाइनों द्वारा की जा सकती है। टिकटों का क्रय केवल उपर्युक्त तीनों अधिकृत एजेंटो के माध्यम से ही किया जाएगा।

3. इसे वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि:- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि के कार्यालय (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।